

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, भभुआ।

पटना, दिनांक-201-3112

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर परिषद्, भभुआ में नागरिक सुविधा मद के अन्तर्गत बस स्टैण्ड निर्माण हेतु पूर्व से स्वीकृत योजना की अवशेष राशि ₹164.54 लाख (एक करोड़ चौसठ लाख चौवन हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर परिषद्, भभुआ में नागरिक सुविधा मद के अन्तर्गत बस स्टैण्ड निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्योदश सं०- 81, दिनांक- 28.02.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 107, दिनांक- 28.02.2014 के क्रमांक- 10 द्वारा ₹31.00 लाख (एकतीस लाख रु०) मात्र विमुक्त की गयी। पुनः वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय राज्यादेश सं०- 68, दिनांक- 19.11.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 78, दिनांक- 19.11.2014 के क्रमांक- 13 द्वारा नगर परिषद्, भभुआ में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु ₹395.54 लाख (तीन करोड़ पंचानवे लाख चौवन हजार रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए बुडको को कार्यकारी एजेंसी घोषित किया गया था। साथ ही इस कार्य के लिए नगर परिषद्, भभुआ को ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित किया गया था। इस प्रकार इस कार्य हेतु स्वीकृत राशि के विरुद्ध अबतक ₹231.00 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख रु०) मात्र नगर परिषद्, भभुआ को आवंटित किया गया है, जिसे कार्यकारी एजेंसी बुडको को हस्तांतरित कर दिया गया है।

2. योजना की कार्यकारी एजेंसी बुडको के पत्रांक- 2785, दिनांक- 30.09.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि भभुआ बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है तथा अबतक योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराए गये ₹231.00 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख रु०) में से दिनांक- 29.09.2016 तक ₹212.66 लाख (दो करोड़ बारह लाख छियासठ हजार रु०) का व्यय किया जा चुका है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, भभुआ के पत्रांक- 638, दिनांक- 19.10.2016 द्वारा भी नगर परिषद्, भभुआ को अवशेष राशि ₹164.54 लाख (एक करोड़ चौसठ लाख चौवन हजार रु०) शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अतः वर्णित स्थिति में वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल स्वीकृत राशि में से पूर्व से आवंटित राशि के अतिरिक्त अवशेष राशि

₹164.54 लाख (एक करोड़ चौंसठ लाख चौवन हजार रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-.....
 दिनांक-..... के आलोक में निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि (3-4)	वर्तमान में आवंटित कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् मभुआ	395.54	231.00	164.54	164.54

कुल आवंटित राशि ₹164.54 लाख (एक करोड़ चौंसठ लाख चौवन हजार रु०) मात्र।

3. आवंटित कुल ₹164.54 लाख (एक करोड़ चौंसठ लाख चौवन हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मभुआ होंगे, जिनके द्वारा संबंधित कोषागार से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी कर कार्यकारी एजेंसी 'बुडको' को अंतरित की जाएगी।
4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम 270 के आलोक में यथा T.C फॉर्म संख्या 42 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि (2) दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।
5. आवंटित कुल राशि ₹164.54 लाख (एक करोड़ चौंसठ लाख चौवन हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता-उप शीर्ष-0105- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2217031920105, राज्य योजना स्कीम कोड-URB 5080, विषय शीर्ष-31 05- सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।
6. योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2) दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
11. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।
12. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
13. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-11/2014 **256** /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-**20.3.17**

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ/मुख्य अभियंता, बुडा/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2/7, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 20/01/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर परिषद, भमुआ में नागरिक सुविधा मद के अन्तर्गत बस स्टैण्ड निर्माण हेतु पूर्व से स्वीकृत योजना की अवशेष राशि ₹164.54 लाख (एक करोड़ चौसठ लाख चौवन हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर परिषद, भमुआ में नागरिक सुविधा मद के अन्तर्गत बस स्टैण्ड निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्योदश सं०- 81, दिनांक- 28.02.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 107, दिनांक- 28.02.2014 के क्रमांक- 10 द्वारा ₹31.00 लाख (एकतीस लाख रु०) मात्र विमुक्त की गयी। पुनः वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय राज्यादेश सं०- 68, दिनांक- 19.11.2014 एवं आवंटनादेश सं०- 78, दिनांक- 19.11.2014 के क्रमांक- 13 द्वारा नगर परिषद, भमुआ में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु ₹395.54 लाख (तीन करोड़ पंचानवे लाख चौवन हजार रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए बुडको को कार्यकारी एजेंसी घोषित किया गया था। साथ ही इस कार्य के लिए नगर परिषद, भमुआ को ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित किया गया था। इस प्रकार इस कार्य हेतु स्वीकृत राशि के विरुद्ध अबतक ₹231.00 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख रु०) मात्र नगर परिषद, भमुआ को आवंटित किया गया है, जिसे कार्यकारी एजेंसी बुडको को हस्तांतरित कर दिया गया है।

2. योजना की कार्यकारी एजेंसी बुडको के पत्रांक- 2785, दिनांक- 30.09.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि भमुआ बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है तथा अबतक योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराए गये ₹231.00 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख रु०) में से दिनांक- 29.09.2016 तक ₹212.66 लाख (दो करोड़ बारह लाख छियासठ हजार रु०) का व्यय किया जा चुका है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, भमुआ के पत्रांक- 638, दिनांक- 19.10.2016 द्वारा भी नगर परिषद, भमुआ को अवशेष राशि ₹164.54 लाख (एक करोड़ चौसठ लाख चौवन हजार रु०) शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अतः वर्णित स्थिति में वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल स्वीकृत राशि में से पूर्व से आवंटित राशि के अतिरिक्त अवशेष

राशि ₹164.54 लाख (एक करोड़ चौंसठ लाख चौवन हजार रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि (3-4)	वर्तमान में स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् भमुआ	395.54	231.00	164.54	164.54

कुल स्वीकृत राशि ₹164.54 लाख (एक करोड़ चौंसठ लाख चौवन हजार रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. स्वीकृत कुल ₹164.54 लाख (एक करोड़ चौंसठ लाख चौवन हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, भमुआ होंगे, जिनके द्वारा संबंधित कोषागार से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी कर कार्यकारी एजेंसी 'बुडको' को अंतरित की जाएगी।

4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम 270 के आलोक में यथा T.C फॉर्म संख्या 42 में राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि (2) दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. स्वीकृत कुल राशि ₹164.54 लाख (एक करोड़ चौंसठ लाख चौवन हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता-उप शीर्ष-0105- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2217031920105, राज्य योजना स्कीम कोड-URB 5080, विषय शीर्ष-31 05- सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

6. योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

18

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2) दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
11. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गई है।
12. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/ना०सु०-03-11/2014 के पृष्ठ सं०-113...../टि० पर दिनांक-19.12.2016 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-117...../टि० पर दिनांक-16.03.2017 को प्राप्त है।
14. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, भभुआ/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Signature) 20.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-11/2014 255 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-20/03/17

प्रतिलिपि:- आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ/मुख्य अभियंता, बुडा/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, भभुआ/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2/7, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature) 20.3.17

सरकार के विशेष सचिव।